न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर
जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी श्री महेश गगोरिया (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या : 62 / 2025
दायर दिनांक : 24 / 09 / 2025
निर्णय दिनांक : 03 / 11 / 2025

उनवान

1 शंकरलाल पिता रतनलाल जाट निवासी पटोलिया तहसील भूपालसागर

वादी

बनाम

1 भंवरलाल पिता रतनलाल जाट निवासी पटोलिया तहसील भूपालसागर
2 गेहरी लाल पिता भंवरलाल जाट निवासी पटोलिया तहसील भूपालसागर

प्रतिवादीगण

राजस्व वाद अंतर्गत धारा–53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थिति : 1. श्री किशनलाल जाट, वादी अधिवक्ता

:: निर्णय ::

वकील वादी की ओर से एक वादपत्र बाबत् बंटवाडा आराजियात अंतर्गत धारा– 53 88 89 188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1956 का पेश किया । जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है:–

यह कि ग्राम पटोलिया में आ0न0 1820 रकबा 0.13 है0 आ0न0 1821 रकबा 1.60 है0 आ0न0 1823 रकबा 0.34 है0 आ0न0 2438 / 1825 रकबा 0.09 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 2.16 है0 स्थित है जो वादी के 1 / 2 हिस्सा से रेवेन्यू रेकार्ड में दर्ज है तथा प्रतिवादी संख्या 1 के 1 / 2 हिस्सा से दर्ज है। खाता संख्या 436 में आ0न0 1822 रकबा 0.87 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 0.87 है0 स्थित है जिसमें रेवेन्यू रेकार्ड में 1 / 2 हिस्सा वादी का दर्ज है तथा 1 / 2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 का रेवेन्यू रेकार्ड में दर्ज नही है वादी एव प्रतिवाद संख्या 1 आपस में दोनो सगे भाई है तथा प्रतिवादी संख्या 2 वादी का भतीजा होकर प्रतिवादी संख्या 1 का जायंदा पुत्र है इस प्रकार पक्षकारान आपस में एक ही परिवार के सदस्य है वादी एवं प्रतिवादीगण के बीच आपसी समझौता के आधार पर मौके पर बंटवाडा कर रखा है तथा उक्त सभी आराजियात मौके पर सटमा होकर एक चक ही है तथा आराजियात में उत्तर तरफ पूर्व पश्चिम सर्वेले में वादी का हिस्सा एवं कब्जा की आराजियात रखी है तथा दक्षिण की तरफ पूर्व से पश्चिम सर्वेले में दोनो प्रतिवादीगण के हिस्सा में रखी है तथा वादी ने अपने हिस्सा में आई आराजियात के वादी के कब्जा सुदा रकबा के चारो तरफ पत्थर के खंभे लगाकर तार लगा रखी है। वादी ने अपने हिस्सा की आराजियात में काफी लागत लगा रखी है तथा वादी ने अपने हिस्सा की आराजियात में वर्तमान में ज्वार की फसल कर रखी है तथा प्रतिवादीगण की हिस्सा जमीन पडत पडी है। वादी ने अपने हिस्से की जमीन के लागत लगा काबिल काश्त की है। लेकिन खाता संयुक्त होने के कारण प्रतिवादीगण आए दिन वादी के कब्जा की जमीन में अपना कब्जा करने की कोशिश करते है प्रतिवादीगण ने अपने हिस्सा की जमीन में कोई लागत नही लगाई जिससे वर्तमान मे पथरीली होकर काबिल काश्त नही की है जिससे वादी के कब्जाशुदा जमीन पर कब्जा करने की कोशिश करते रहने से आए दिन विवाद बना रहता है। खाता संयुक्त होने के कारण कब्जा काश्त के संबंध में पक्षकारान के बीच विवाद होता रहता है तथा क[illegible] लेने तथा लगान आदि के बारे में भी कब्जा के संबंध में भी विवाद रहता है जिससे [illegible] कब्जा काश्त अनुसार बंटवाडा कराया जाना आवश्यक है तथा वादी के [illegible] आई आराजियात को वादी के तन्हा अलग खातेदारी में दर्ज कराया जाना आवश्यक है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2025.11.12 11:58:21 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर

इस बाबत् प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर उक्त आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा हेतु प्राथमिक डिक्री इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 07.10.2025 के द्वारा तहसीलदार, भूपालसागर को बंटवाड़ा प्रस्ताव मौके पर जाकर बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस तैयार कर न्यायालय में भिजवानें हेतु भेजा गया। तहसीलदार, भूपालसागर के द्वारा वादी एवं प्रतिवादी को अग्रिम सूचना पत्र जारी कर पटवार हल्का एवं भू अ. निरीक्षक, कांकरवा के साथ राजस्व रिकार्ड व मौका निरीक्षण कर बंटवारा विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पत्रांक/भू.अ./2025/1240 दिनांक 29.10.2025 से प्रेषित किया गया, जो शामिल पत्रावली है। उक्त बंटवाड़ा प्रस्ताव पर वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। वकील उभयपक्ष ने निवेदन किया कि उक्त बंटवारा प्रस्ताव अनुसार बंटवारा करने में कोई आपत्ति नहीं है एवं अंतिम डिक्री जारी की जावे। वकील उभयपक्ष की बहस व बंटवाड़ा रिपोर्ट के अनुसार निम्नानुसार भूमि बंट में रखी जाकर राजस्व रेकार्ड में इंद्राज करने के आदेश दिये जाते है। फर्द मौका व बंटवाड़ा प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेगा –

क्र.सं	काश्तकार	आ.न.	रकबा	लगान
1	श्री शंकरलाल पिता रतनलाल जाट निवासी पटोलिया	1820 1821/1 1822/2 1823 2438/1825/1	0.1300 0.9580 0.0050 0.3400 0.0820	
	योग	5	1.5150	
2	श्री भंवरलाल पिता रतनलाल 72/101 हि. श्री गेहरीलाल पिता भंवरलाल 29/101 हि. जाट निवासी पटोलिया	1821/2 1822/1 2438/1825/2	0.6420 0.8650 0.0080	
	योग	3	1.5150	

इस आशय की अंतिम डिक्री जारी होकर तहसीलदार भूपालसागर को राजस्व रेकार्ड में इंद्राज हेतु भेजी जावे। इस बाबत् पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 03.11.2025 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(महेश गगोरिया)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
भूपालसागर

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2025.11.12 11:58:21 IST
Reason: SelfAttested